

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।

रजि.न.34300/80 संख्या 296 श्री विजयपुरम, गुरूवार, 05 नवंबर 2026 web: dt.andamannicobar.gov.in 2.00 रूपए

नीति आयोग की उच्चस्तरीय बैठक में अण्डमान–निकोबार के समग्र विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए

माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपसमूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं और सामरिक महत्व से संबंधित विषयों पर प्रस्तुत की विस्तृत रूपरेखा

नई दिल्ली, 4 नवम्बर।

नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में माननीय उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी की अध्यक्षता में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समग्र, समावेशी एवं सामरिक विकास से संबंधित विषयों पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. सुब्रह्मण्यम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती (अ.नि.), केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, जल शक्ति, पर्यटन, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग, मत्स्यपालन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और विद्युत मंत्रालयों के सचिवों सहित नीति आयोग एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने द्वीपसमूह के विकास कार्यों, भावी योजनाओं तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की।









हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से द्वीपसमूह का विशेष महत्व

माननीय उप राज्यपाल ने रेखांकित किया कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह केवल भारत की समुद्री सीमाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, बल्कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में देश की सामरिक उपस्थिति तथा अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग 8,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 31 आबाद द्वीपों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां की विकास योजनाओं में द्वीपों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

विकास परियोजनाओं की लागत एवं पात्रता मानकों में विशेष छूट का आग्रह

बैठक में मुख्यभूमि से निर्माण सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर आने वाली अतिरिक्त लागत का उल्लेख करते हुए विकास परियोजनाओं के लागत मानकों तथा पात्रता संबंधी शर्तों में द्वीपसमूह की परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक लचीलापन प्रदान करने का आग्रह किया गया। इसके साथ ही ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के सामरिक एवं आर्थिक महत्व पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

हवाई, सड़क एवं समुद्री संपर्क सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल

द्वीपसमूह में आवागमन एवं परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उड़ानों की घटती संख्या तथा हवाई किरायों में वृद्धि का विषय प्रमुखता से उठाया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग–4 के उन्नयन तथा मिडिल स्ट्रेट सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सागरमाला 2.0 योजना के अंतर्गत 13 जेटियों के पुनर्निर्माण तथा नियमित मालवाहक जहाज़ सेवाओं को अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु बनाने की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया।

पेयजल, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता

जनसामान्य के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुरानी जलापूर्ति पाइपलाइनों को बदलने तथा 265 गांवों में जल भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रस्ताव रखे गए।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संबंध में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स) में आवश्यक चिकित्सकीय पदों के सृजन, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब (एमआरआई) जांच सुविधा के विस्तार तथा चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए।

मत्स्यपालन, पर्यटन एवं स्थानीय रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने पर चर्चा

द्वीपसमूह की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से गहरे समुद्र में उपलब्ध टूना मछली संसाधनों के समुचित उपयोग, स्थानीय रोज़गार के अवसरों में वृद्धि तथा मत्स्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को विकसित करने पर विशेष चर्चा की गई।

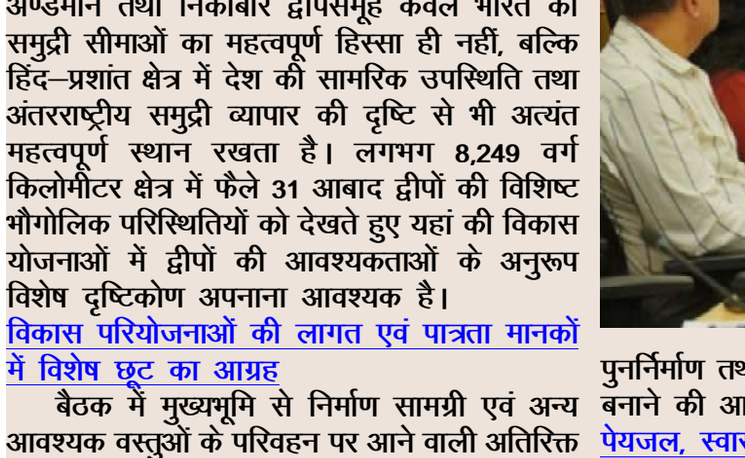
इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, वाइपर द्वीप तथा स्वराज द्वीप में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों में तेजी लाने पर बल दिया गया।

कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, शीत भंडारण सुविधाओं के विस्तार, कृषि कार्यों में आधुनिक यंत्रों के उपयोग तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण (पीएमजीएसवाई–IV) के अंतर्गत लंबित ग्रामीण सड़क निर्माण प्रस्तावों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

समयबद्ध निर्णय एवं समन्वित विकास कार्ययोजना पर माननीय उप राज्यपाल का ज़ोर

माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक समन्वित, टिकाऊ एवं समयबद्ध विकास प्रारूप तैयार करना है। इसके लिए नीति आयोग तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से आग्रह किया गया कि लंबित विकास प्रस्तावों पर निर्धारित समय–सीमा के भीतर निर्णय लिए जाएं, विभिन्न योजनाओं के मानकों में आवश्यक अनुकूलता प्रदान की जाए, स्पष्ट नोडल उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाएं तथा विकास कार्यों की नियमित उच्चस्तरीय समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

लोक निवास से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत@2047' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को सामरिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सशक्त बनाना हम सभी की सामूहिक प्राथमिकता है।



अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी ने नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी के साथ स्नेहिल एवं सौहार्दपूर्ण भेंट की। बैठक में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने तथा केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

माननीय उप राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के संबंध में माननीय मंत्री का विशाल अनुभव अद्वितीय है। माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि अण्डमान तथा निकोबार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और द्वीप प्रशासन के अधिकारियों के बीच शीघ्र बैठक आयोजित की जाए।

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में भागीदारी हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने 14 से 27 नवंबर, 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2026 में भागीदारी हेतु पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के पंजीकृत एवं प्रमुख हितधारकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वर्ष मेले का विषय "विकास और विरासत" है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत इच्छुक पर्यटन हितधारकों, जिनमें टूर ऑपरेटर, नौका संचालक, होटल संघ, साहसिक एवं जल क्रीड़ा सेवा प्रदाता, यात्रा अभिकर्ता तथा अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटन संबंधी संगठन शामिल हैं, से अनुरोध किया गया है कि वे मेले में भाग लेने की अपनी सहमति व्यक्त करते हुए लिखित आवेदन 9 नवंबर, 2026 को शाम 3 बजे तक अनिवार्य रूप से सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में जमा करें।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इच्छुक हितधारकों को स्थान का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जो अण्डमान तथा निकोबार मंडप में

शेष पृष्ठ 4 पर

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का आधिकारिक प्रतीक चिह्न अनावरण





श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने आज श्री विजयपुरम स्थित परिषद की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशाला में अपने आधिकारिक प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। यह अवसर परिषद की संस्थागत यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में चिह्नित हुआ। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक श्रीमती संगीता चंद, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती अर्चना सिंह, उप शिक्षा निदेशक (योजना) श्री ओमप्रकाश, उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान) श्री राम प्रवेश, शिक्षा निदेशालय के कनिष्ठ अभियंता श्री कुप्पु स्वामी तथा संस्थान के संकाय सदस्य उपस्थित थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्रीमती संगीता चंद ने बताया कि अनावरण किया गया नया प्रतीक चिह्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने केंद्रशासित प्रदेश में शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा शैक्षिक विकास को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर भी बल दिया।

अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में आर. कस्तूरी बाई ने हासिल किया आठवां स्थान

श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का गौरव बढ़ाते हुए शतरंज खिलाड़ी सुश्री आर. कस्तूरी बाई ने फ्रांस के कैप डी'अग्दे में आयोजित 24वीं कैप टाउन–कैवेलियर शतरंज प्रतियोगिता (श्रेणी बी : 2050–1650) में शानदार प्रदर्शन किया।

कुल 258 प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए कस्तूरी बाई ने मुख्य पुरस्कार श्रेणी में आठवां स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त कर 200 यूरो का नकद पुरस्कार भी जीता।

नौ चक्रों वाली इस प्रतियोगिता में उन्होंने उत्कृष्ट खेल कौशल, दृढ़ संकल्प एवं निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए 9 में से 7 अंक अर्जित किए। इसमें उन्होंने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की, 2 मुकाबले बराबरी पर समाप्त किए तथा केवल 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए गर्व का विषय है। यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय मंच पर द्वीपसमूह के शतरंज खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिभा एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना को भी दर्शाती है।



अण्डमान निकोबार शतरंज संघ (एएनसीए) ने आर. कस्तूरी बाई को उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी तथा उनके भविष्य के शतरंज प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की। उनकी यह उपलब्धि विशेष रूप से द्वीपसमूह की युवा महिला शतरंज खिलाड़ियों सहित उभरते हुए सभी शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

वन प्रशिक्षण संस्थान में वनरक्षकों के 54वें बैच का दीक्षांत समारोह सम्पन्न

श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

वन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआई), विम्बलीगंज, दक्षिण अण्डमान द्वारा आज वनरक्षकों के 54वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. दिनेश कन्नन, मुख्य वन संरक्षक (आर एंड डब्ल्यूपी) एवं अध्यक्ष, एफटीआई ने सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी तथा इस बात पर बल दिया कि वनों की सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण, वन्यजीवों की रक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता, सतर्कता, टीम भावना और व्यावसायिक सत्यनिष्ठा आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान पाइपिंग समारोह भी आयोजित किया गया, जो प्रशिक्षुओं के वनरक्षक के रूप में अपनी व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों में प्रवेश का प्रतीक था। इसके पश्चात एफटीआई के अध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षुओं को निष्ठा की शपथ दिलाई गई। समारोह के दौरान सुश्री पांडिमीनल को 54वें बैच की सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु घोषित किया गया तथा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्होंने विभिन्न विषयों में पांच अतिरिक्त पदक भी प्राप्त किए। सफल प्रशिक्षुओं को उनकी शैक्षणिक एवं व्यावहारिक उपलब्धियों के सम्मान में प्रमाणपत्र, पदक एवं पुरस्कार वितरित किए गए। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समारोह को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि श्री पी.के. पॉल, वन संरक्षक (मुख्यालय) ने वनरक्षकों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समृद्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया।



श्री अजीत वी. जॉन, एसएफएस, निदेशक, एफटीआई ने वार्षिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों, शैक्षणिक उपलब्धियों, क्षेत्रीय भ्रमण तथा प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए व्यावहारिक कौशल का विवरण दिया गया।

एफआईआर संख्या 73/2026, अपराध एवं आर्थिक अपराध पुलिस थाने की जांच में सहयोग हेतु निवेशकों से सार्वजनिक अपील

श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4)/61(2) तथा पुरस्कार चिट एवं धन परिचालन योजनाएं (प्रतिषेध) अधिनियम, 1978 की धारा 3/4/5/6 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 73/2026, दिनांक 14.10.2026, पुलिस थाना अपराध एवं आर्थिक अपराध, श्री विजयपुरम में दर्ज़ की गई है तथा मामले की जांच जारी है।

जांच के दौरान यह आरोप सामने आया है कि क्यूनेट/विहान व्यवसाय के प्रतिनिधियों ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न क्षेत्रों में आम जनता को नियमित एवं साप्ताहिक आय, कमीशन तथा अधिक लाभ का आश्वासन देकर क्यूनेट/विहान व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि लोगों को आर्थिक लाभ की उम्मीद में उत्पाद खरीदने तथा नए सदस्यों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनसे बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र की गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 3.50 लाख रूपए तक का भुगतान किए जाने की सूचना है। श्री विजयपुरम तथा आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न होटलों एवं अन्य स्थानों पर कथित रूप से बैठकें और प्रचार गतिविधियां आयोजित की गईं। कई व्यक्तियों को कथित रूप से आश्वासन के अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा उन्हें धनवापसी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। शिकायतकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि इसी प्रकार कई अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हुए हो सकते हैं।

जारी जांच के दृष्टिगत, उपर्युक्त व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उक्त व्यवसाय या उससे संबंधित योजनाओं में धन निवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनसे पूछताछ करना आवश्यक है, ताकि कथित धोखाधड़ी की वास्तविक सीमा का पता लगाया जा सके, अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान की जा सके तथा धनराशि के प्रवाह का पता लगाया जा सके।

तदनुसार, विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, क्यूनेट तथा उनकी संबद्ध विपणन योजनाओं में धन निवेश करने वाले सभी निवेशकों व पीड़ितों तथा ऐसे लेन–देन के संबंध में प्रासंगिक जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे दिनांक 04.11.2026 से 20.11.2026 तक, प्रातः 09.30 बजे से शाम 05.30 बजे के बीच पुलिस थाना अपराध एवं आर्थिक अपराध, सीआईडी कार्यालय, पुलिस गुरुद्वारा के सामने, श्री विजयपुरम में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

सभी संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने निवेश का सही विवरण प्रस्तुत करें। इसके साथ विहान डायरेक्ट सेलिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी निधि प्राप्ति प्रमाणपत्र/बॉन्ड अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज़, बैंक खाते के विवरण, भुगतान रसीदें, लेन–देन का विवरण, पत्राचार तथा उनके पास उपलब्ध अन्य सहायक साक्ष्य भी प्रस्तुत करें। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में सभी संबंधित व्यक्तियों से जांच में सहयोग करने तथा आगे आकर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि कथित धोखाधड़ी की सीमा निर्धारित की जा सके, अन्य प्रभावित व्यक्तियों एवं संलिप्त लोगों की पहचान की जा सके तथा धनराशि के प्रवाह का पता लगाया जा सके। संबंधित व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं दस्तावेज़ जांच एजेंसी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने में सहायता करेंगे। जानकारी एवं दस्तावेज़ सहायक उप निरीक्षक मोहम्मद रफीक़, जांच अधिकारी (मोबाइल नंबर 9476092160) अथवा निरीक्षक डी. जगदीश्वर राव, थाना प्रभारी, पुलिस थाना अपराध एवं आर्थिक अपराध, सीआईडी, श्री विजयपुरम (मोबाइल नंबर 9474290250) को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

कार निकोबार में सुनामी जागरूकता कार्यक्रम संचालित

कार निकोबार, 4 नवंबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉयस), हैदराबाद तथा दक्षिण अण्डमान, उत्तर व मध्य अण्डमान तथा निकोबार के ज़िला प्रशासनों के समन्वय से चिह्नित तटीय गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है।



इस पहल के तहत निकोबार ज़िला प्रशासन द्वारा आज कार निकोबार के मूस सामुदायिक भवन में सुनामी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय को सुनामी के खतरों के प्रति जागरूक करना तथा आपदा से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ बनाना था।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के 30 चिह्नित तटीय गांवों में संचालित किए जा रहे सुनामी रेडी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समुदाय के सदस्यों को सुनामी आने के कारणों एवं इसके संभावित प्रभावों, प्राकृतिक चेतावनी संकेतों, पूर्व चेतावनी प्रणालियों, सुनामी अलर्ट तथा आपातकालीन संचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।

इसके साथ ही सुरक्षित स्थानों की पहचान करने, निर्धारित निकासी मार्गों की जानकारी रखने तथा सुनामी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान उचित सुरक्षा उपायों का पालन करने के महत्व पर भी विशेष बल दिया गया।

एनसीसी कैडेटों ने ब्रिचगंज में फायरिंग अभ्यास में उत्साहपूर्वक लिया भाग

श्री विजयपुरम, 3 नवंबर।

विभिन्न एनसीसी संबद्ध विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कुल 200 एनसीसी कैडेटों ने 3 नवंबर, 2026 को श्री विजयपुरम के ब्रिचगंज स्थित चिंते फायरिंग रेंज में आयोजित फायरिंग अभ्यास में भाग लिया।

इस अभ्यास सत्र का उद्देश्य कैडेटों में अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास तथा ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करना था। प्रशिक्षित एनसीसी अनुदेशकों एवं अधिकृत अधिकारियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में कैडेटों को फायरिंग की बुनियादी तकनीकों, हथियारों के सुरक्षित उपयोग तथा सुरक्षा संबंधी निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व से अवगत कराया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह फायरिंग अभ्यास जंगलीघाट, श्री विजयपुरम स्थित 1 (अण्डमान तथा निकोबार) स्वतंत्र इन्फैंट्री कंपनी एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के. वाई. सिंह के समन्वय एवं सहयोग से आयोजित किया गया।



विद्युत विभाग में पॉश अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया

श्री विजयपुरम, 4 नवंबर।

विद्युत विभाग के फीनिक्स बे विद्युत गृह स्थित सम्मेलन कक्ष में आज कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव (विद्युत) श्री प्रवेश रंजन झा तथा अधीक्षण अभियंता (विद्युत) श्रीमती माधुरी शुक्ला ने की। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राइट्स फॉर ऑल (गैर–सरकारी संगठन) की संस्थापक अध्यक्षा श्रीमती रुबीना ख़ातिब सिद्दीक़ी ने एक जानकारीपूर्ण प्रस्तुति के माध्यम से पॉश अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, उद्देश्यों एवं महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्य वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, अपने अधिकारों एवं ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूकता तथा शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी।

मायाबंदर में ज़िला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन

रंगत, 4 नवंबर।

मेरा युवा भारत, रंगत, मध्य अण्डमान द्वारा आज मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीजीसी) के सभागार में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विषय पर ज़िला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की पहल 'विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद–2027' के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवा नेतृत्व, लोकतांत्रिक जागरूकता तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती अर्पणा रॉय ने युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति ज़िम्मेदार समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि एवं मायाबंदर स्थित एमजीजीसी के प्राचार्य डॉ. आर.वी.आर. मूर्ति तथा विशेष अतिथि मायाबंदर के ज़िला शिक्षा अधिकारी श्री प्रकाश हाउलादार ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को ऐसे मंचों के माध्यम से अपने ज्ञान, आत्मविश्वास एवं संवाद कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित प्रतिनिधि श्री विजयपुरम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद उन्हें जनवरी, 2027 में नई दिल्ली स्थित भारत की संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की 'विकसित भारत युवा संसद' में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है।

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ)

————————पृष्ठ 1 का शेष

स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। भागीदारी शुल्क 30,000 रूपए निर्धारित किया गया है। यह राशि हितधारकों द्वारा सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से जमा की जानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट के साथ इच्छुक हितधारकों को अपना सहमति पत्र भी जमा करना होगा।

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी से अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विशिष्ट पर्यटन आकर्षणों, उत्पादों, सेवाओं एवं अनुभवों को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होगा। इससे द्वीपसमूह की पहचान एवं दृश्यता बढ़ाने के साथ–साथ इसे एक पसंदीदा पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भाग लेने वाले हितधारकों को परिवहन, भोजन, आवास तथा अन्य आकस्मिक खर्चों सहित सभी व्यवस्थाएं स्वयं करनी होंगी और संबंधित व्यय भी स्वयं वहन करना होगा।

अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक हितधारक सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के पर्यटन प्रबंधक से मोबाइल नंबर 9933255364 पर संपर्क कर सकते हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

सेना को मिले 450 स्वदेशी नागास्त्र–1 एंटी–टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों को भी पलभर में नष्ट करने की क्षमता वाले घातक हथियार स्वदेशी नागास्त्र–1 एंटी–टैंक लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम भारतीय सेना को मिल गए हैं। इसे बनाने वाली नागपुर की कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने दूसरी खेप में 450 यूनिट सौंपी है। जीपीएस से लैस यह आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर दो मीटर की दूरी पर सटीकता के साथ हमला करके तबाही मचा सकता है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नागास्त्र–1 का इस्तेमाल किया था।



भारतीय सेना 450 नागास्त्र–1आर लोइटरिंग युद्ध सामग्री का ऑर्डर देकर अपनी सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ा रही है। जीपीएस से लैस इन स्वदेशी 'आत्मघाती ड्रोन' में सटीकता के साथ हमले करने की क्षमता, उच्च ऊंचाई पर संचालन और दिन–रात निगरानी की सुविधा है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया यह हथियार देश के सैन्य ढांचे को और मजबूत करेगा। इस सिस्टम का परीक्षण लद्दाख और उत्तर प्रदेश में झांसी के पास बबीना सहित विभिन्न स्थानों पर किया गया है। आने वाले समय में ऐसे और भी अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार सेना को मिल सकते हैं।

नागपुर की सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में निर्मित अत्याधुनिक लोइटरिंग म्यूनिशन नागास्त्र–1आर की पहली खेप जून 2024 में भारतीय सेना को सौंपी गई थी। सेना ने पहली खेप में मिले 120 हथियारों का इस्तेमाल 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था। इस हथियार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सेना ने अपनी सटीक हमला क्षमताओं को बढ़ाने, अपनी पैदल सेना को आधुनिक बनाने के लिए आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 450 नागास्त्र–1आर लोइटरिंग युद्ध सामग्री का ऑर्डर दिया था, जिसकी आपूर्ति पिछले माह हुई है।

सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में निर्मित लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम में 80 फीसदी से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। इसे आम भाषा में 'घूमकर हमला करने वाला हथियार' कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक तरह से हवाई एंबुश यानी घात लगाकर हमला करता है। दुश्मन के इलाके में उड़कर पहुंचने के बाद यह लक्ष्य के ऊपर हवा में मंडराता है और जैसे ही सही मौका मिलता है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन को खत्म कर सकता है। खास बात यह है कि अगर हमला रद्द करना हो, तो इसे वापस भी बुलाया जा सकता है, जिससे यह दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

रक्षा खडसे डब्ल्यूएएफ के सर्वोच्च सम्मान 'मेडल ऑफ ऑनर' से सम्मानित

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे को 47वें विश्व आर्मरेसलिंग एवं 28वें विश्व पैरा आर्मरेसलिंग चैंपियनशिप–2026 के दौरान प्रतिष्ठित 'मेडल ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विश्व आर्मरेसलिंग महासंघ (डब्ल्यूएएफ) का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे महासंघ के अध्यक्ष असेन हाजिटोडोरोव ने नई दिल्ली स्थित एक होटल में आयोजित चैंपियनशिप के दौरान उन्हें प्रदान किया।



केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने 60 से अधिक देशों से आए खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और पहली बार भारत में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन को "एक बहुत बड़ा अवसर" बताया। उन्होंने देशभर में आर्मरेसलिंग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास के लिए अपना निरंतर समर्थन देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। यह सम्मान प्राप्त करने पर रक्षा खडसे ने कहा कि विश्व आर्मरेसलिंग महासंघ से यह सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं भारत में आर्मरेसलिंग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए अपना समर्थन निरंतर जारी रखूंगी।

इस चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 1,700 से ज्यादा खिलाड़ी, अधिकारी और समर्थक हिस्सा ले रहे हैं। इसका आयोजन पीपल्स आर्मरेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रीति झंगियानी कर रही हैं, जो एशियन आर्मरेसलिंग फेडरेशन की उपाध्यक्ष भी हैं। उनके साथ प्रो पंजा लीग के सह–संस्थापक परवीन डबास भी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह चैंपियनशिप विश्व आर्मरेसलिंग महासंघ की संबद्धता और मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप का समापन 6 नवंबर को होगा।

पश्चिम एशिया संकटः वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों में अबतक 23 भारतीयों की मौत

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के दौरान वहां वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों में अब तक 23 भारतीयों की मौत हो चुकी है। इसमें से 15 नाविक थे। इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष के बीच काला सागर में वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले में अब तक 5 भारतीय मारे जा चुके हैं और दो लापता हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को नियमित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रालय पश्चिम एशिया की स्थिति और उससे जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत लगातार बातचीत और कूटनीति को समर्थन देता आया है और सभी पक्षों से शांति और स्थिरता की बहाली सुनिश्चित करने का आग्रह करता रहा है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से अब तक कई लोग हताहत हुए हैं और घटनाक्रम न केवल क्षेत्र की जनता बल्कि विश्वभर में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है।



एक अन्य घटनाक्रम में विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस के विदेश मंत्री और जयशंकर के बीच हाल ही में जी–20 से इतर मुलाकात हुई। दोनों विदेश मंत्री पहले भी मिल चुके हैं। इस बार अटलांटा (अमेरिका) में मुलाकात के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की है।

शकुंतला देवीः बिना कैलकुलेटर पलक झपकते करती थीं बड़ी गणनाएं, जानिए कैसे बनीं मानव कंप्यूटर

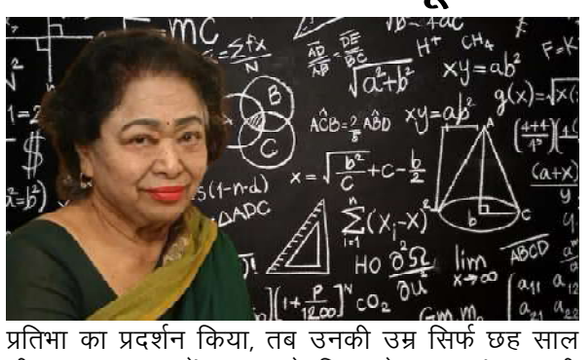
नई दिल्ली, 04 नवम्बर।

4 नवंबर 1929 को देश की मशहूर गणितज्ञ और 'मानव कंप्यूटर' के नाम से पहचानी जाने वाली शकुंतला देवी का जन्म हुआ था। उन्हें यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वह गणित की जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही पलों में अपने दिमाग से हल कर देती थीं। उनकी असाधारण गणना क्षमता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन काफी आर्थिक कठिनाइयों के बीच गुजरा। उनका पालन–पोषण गावीपुरम में हुआ, जो गुट्टाहल्ली का एक झुग्गी–बस्ती वाला इलाका था। उनके पिता सर्कस में काम करते थे और वहां करतब दिखाकर परिवार का गुजारा करते थे। हालांकि, उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सकें।

आर्थिक परेशानियों के कारण शकुंतला देवी को औपचारिक शिक्षा हासिल करने का भी पर्याप्त अवसर नहीं मिला। बताया जाता है कि 10 साल की उम्र में उनका दाखिला सेंट थेरेसा कॉन्वेंट, चामराजपेट में पहली कक्षा में कराया गया था। लेकिन उनके पिता स्कूल की फीस भरने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से महज तीन महीने बाद ही उनका नाम स्कूल से हटा दिया गया।

महज तीन साल की उम्र में उन्होंने संख्याओं के साथ असाधारण समझ का परिचय देना शुरू कर दिया था। एक बार वह अपने पिता के साथ ताश खेल रही थीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी गणितीय प्रतिभा दिखाई। उनके पिता ने उनकी इस खास क्षमता को पहचान लिया और उसे आगे बढ़ाने में मदद की।

मैसूर विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए उनकी गणना क्षमता लोगों के सामने आई। मैसूर विश्वविद्यालय में जब उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तब उनकी उम्र सिर्फ छह साल थी। साल 1944 में वह अपने पिता के साथ लंदन चली गईं। इसके बाद धीरे–धीरे उनकी प्रतिभा की चर्चा लंदन के साथ–साथ अमेरिका और यूरोप तक पहुंचने लगी।



शकुंतला देवी की याददाश्त और गणना करने की क्षमता इतनी शानदार थी कि पिछली सदी की किसी तारीख या दिन के बारे में पूछे जाने पर वह तुरंत जवाब दे देती थीं। उनकी गणना की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मौकों पर उन्होंने कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ दिया। साल 1977 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें 201 का 23वां घात निकालने के लिए कहा गया। उन्होंने बिना कागज और कलम का सहारा लिए महज 50 सेकंड में इसका जवाब दे दिया।

इसके अलावा, 18 जून 1980 को लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उन्होंने 13 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल केवल 26 सेकंड में निकालकर सबको चौंका दिया था। उनके इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया में उनकी पहचान को और मजबूत किया। गणित की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली शकुंतला देवी का 21 अप्रैल 2013 को निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका निधन किडनी से जुड़ी बीमारी के कारण हुआ था।

स्टेराइल दवाओं की गुणवत्ता के लिए ग्रेड–ए क्लीन एरिया के मानक होंगे सख्त

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्टेराइल (रोगाणु मुक्त) दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची एम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत दवा निर्माण के ग्रेड ए क्लीन एरिया में सूक्ष्मजीवी संदूषण की निगरानी से जुड़े मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 953(ई) के माध्यम से यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूची एम में निर्धारित मौजूदा माइक्रोबियल संदूषण सीमाओं और डब्ल्यूएचओ के अंतरराष्ट्रीय मानकों के बीच अंतर को दूर करना है। प्रस्तावित बदलाव डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट श्रृंखला संख्या 1044 के अनुलग्नक–2 में स्टेराइल फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) दिशानिर्देशों पर आधारित है।

ग्रेड ए क्लीन एरिया स्टेराइल दवाओं के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। यहां खुले उत्पादों, कंटेनरों, स्टेरिलाइज्ड उपकरणों और अन्य घटकों को संभाला जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो।

मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित संशोधन लागू होने से अनुसूची एम के प्रावधान डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप हो जाएंगे। इसके साथ ही ग्रेड ए क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की माइक्रोबियल वृद्धि पाए जाने पर जांच शुरू करना अनिवार्य होगा। इससे संदूषण के संभावित कारणों की पहचान करने और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि इस संशोधन से भारतीय दवा निर्माण क्षेत्र के गुणवत्ता मानकों में सुधार होगा। साथ ही देश के नियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और स्टेराइल दवा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं।

भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया, कोहली ने जड़ा अर्धशतक

ऑकलैंड, 04 नवंबर (हि.स.)।

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पांच विकेट से हरा दिया। ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मेजबान टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर सिमट गई। इसके बाद बारिश के कारण भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम (डीएलएस) के तहत जीत के लिए 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।

भारतीय टीम ने 22.4 ओवर में पांच विकेट पर 143 रन बनाते हुए इसे हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1–0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच अगला वनडे सात नवंबर को वेलिंगटन में खेला जाएगा।

भारत की जीत के नायक स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रहे, जिन्होंने 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने चार विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पारी को संभाला और तेजी से रन बटोरे। हालांकि, बारिश के कारण मुकाबले में दो बार रुकावट आई। पहली बार 10.5 ओवर के बाद



खेल रोका गया। बारिश थमने पर मैच को 40 ओवर का कर दिया गया और भारत के सामने 167 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई। खेल फिर शुरू होने पर भारतीय टीम को 32 ओवर में 143 रन बनाने का लक्ष्य मिला।

इसके बाद विराट कोहली ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का 80वां अर्धशतक रहा। दूसरे छोर पर शुभमन गिल ने उनका अच्छा साथ दिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 113 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। भारत को 114 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। शुभमन गिल 56 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी 51 गेंदों में 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।अक्षर पटेल बिना खाता खोले आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 15 रन का योगदान दिया। अंत में नमन धीर ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी। केएल राहुल तीन और नमन धीर पांच रन बनाकर नाबाद रहे।

बंगाल के युवा ने बनाया 30 सेकंड में रक्तस्राव रोकने वाला पाउडर, सिंगापुर में मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान

कोलकाता, 04 नवंबर (हि. स.)।

पूर्व बर्दवान जिले के खंडघोष स्थित बादुलिया गांव के युवा वैज्ञानिक साबिर हुसैन ने अपने अनोखे आविष्कार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। उनके द्वारा विकसित विशेष पाउडर 'स्टॉप ब्लीड' महज 30 सेकंड में रक्तस्राव रोकने में सक्षम है। इस आविष्कार को 29 अक्टूबर 2026 सिंगापुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय 'स्लिंगशॉट 2026' प्रतियोगिता में बड़ी सफलता मिली है। इसी प्रतियोगिता में साबिर हुसैन को ग्रैंड विजेता घोषित किया गया था।

स्वास्थ्य एवं बायोमेडिकल श्रेणी में साबिर के स्टार्टअप 'मिराक्यूलस' ने शीर्ष स्थान हासिल करते हुए ग्रैंड विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही उनकी कंपनी को चार लाख सिंगापुर डॉलर की अनुदान राशि भी मिली है।

यह स्टार्टअप राउरकेला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) के बायोटेक्नोलॉजी एवं मेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से संचालित हो रहा है। प्रोफेसर देवेंद्र वर्मा के मार्गदर्शन में इस विशेष पाउडर को विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं, चोट और आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से रक्तस्राव को नियंत्रित करना है। साबिर हुसैन के इस आविष्कार को इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। करीब सात वर्ष पहले



2019 में दिल्ली स्थित डीआरडीओ भवन में उन्हें इस नवाचार के लिए सम्मानित किया गया था। उस समय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया था। साबिर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खंडघोष के एक स्कूल से पूरी की। इसके बाद बर्दवान से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने कोलकाता के एक कॉलेज से बीटेक और एनआईटी राउरकेला से बायोमेडिकल विषय में एमटेक की डिग्री हासिल की। उनके द्वारा विकसित 'स्टॉप ब्लीड' पाउडर को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब तक 250 से अधिक अस्पतालों और कई सैन्य इकाइयों में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा चुका है।

इतिहास के पन्नों में 05 नवंबरः मंगलयान के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में रचा नया अध्याय

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

पांच नवंबर 2013 का दिन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज है। इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने पहले मंगल मिशन 'मंगलयान' को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रवाना किया था। इस अभियान के साथ भारत ने अंतरग्रहीय अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

मंगलयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी–सी25 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मिशन ने सीमित संसाधनों में जटिल अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देने की भारत की क्षमता का परिचय दिया।

इस मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। साथ ही, मंगल की कक्षा में यान स्थापित करने वाला भारत एशिया का पहला देश भी बना। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मंगल की कक्षा में अपने यान भेजने में सफल रहे थे।

लगभग दस महीने की यात्रा पूरी करने के बाद मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इस मिशन ने मंगल ग्रह के वातावरण और सतह से जुड़ी जानकारियां जुटाने के साथ भारत की अंतरिक्ष तकनीक और वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाई।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1556 – पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया।

1605 – गाइ फॉक्स और उनके साथियों ने ब्रिटिश संसद को उड़ाने का प्रयास किया, जिसे गनपाउडर प्लॉट के नाम से जाना जाता है। इस घटना की याद में हर साल 5 नवंबर को गाइ फॉक्स दिवस मनाया जाता है।

1639 – मैसाच्युसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना।

1678 – जर्मनी की विशेष सेना ब्रैंडनबर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीफ्सवाल्ड शहर पर कब्जा जमाया।

1725 – स्पेन और आस्ट्रिया ने गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1811 – स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष।

1854 – क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया।

1895 – ऑटो मोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को अमेरिका का पहला पेटेंट मिला।

1914 – इंग्लैंड एवं फ्रांस की तुर्किये के विरुद्ध युद्ध की घोषणा।

1920 – 'इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी' की स्थापना।

1930 – अमेरिका के महान साहित्यकार सिन्क्लेयर लेविस को उनकी कृति 'बाबित्त' के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला।

1940 – फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट अभूतपूर्व रूप से तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजय पुरम, दिनांक 02 नवम्बर, 2026

अधिसूचना

संख्या 280/2026/फा. सं. 34–725/2026–राजस्व., चूँकि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उप–धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 06.11.2025 की अधिसूचना सं. 88/2025/फा. सं. 34–725/2021–राजस्व के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जो दिनांक 06.11.2025 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र, असाधारण, सं. 93 में प्रकाशित हुई थी। उक्त अधिसूचना निकोबार जिला के कैम्पबेल बे तहसील के गांधी नगर एवं शास्त्री नगर गाँवों में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए 834.6437 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण हेतु जारी की गई थी (जिसे इसके पश्चात् "उक्त प्रारंभिक अधिसूचना" कहा गया है);

और, चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) में यह प्रावधान है कि यदि प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से बारह माह के भीतर उक्त धारा की उप–धारा (1) के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो ऐसी अधिसूचना को निरस्त माना जाएगा तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में बारह माह की उक्त अवधि 5 नवम्बर, 2026 को समाप्त हो रही है।

और, चूँकि, पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन प्रशासक ने उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (6) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 2026 को प्रस्तुत कर दी है, तथापि, धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत घोषणा प्रकाशित किए जाने से पूर्व निम्नलिखित अपेक्षित कार्यवाहियाँ अभी पूरी की जानी शेष हैं;

(क) धारा 17 की उप–धारा (1) के अंतर्गत परियोजना–स्तरीय पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन समिति द्वारा पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन स्कीम के प्रारूप की समीक्षा;

(ख) धारा 17 की उप–धारा (2) के अंतर्गत पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन आयुक्त द्वारा स्कीम का अनुमोदन;

(ग) धारा 18 के अंतर्गत अनुमोदित योजना का प्रकाशन; एवं

(घ) धारा 19 की उप–धारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित निकाय द्वारा निर्धारित राशि जमा किया जाना;

और, चूँकि, समुचित सरकार का यह मत है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो उक्त अवधि के विस्तार को न्यायोचित ठहराती हैं, अर्थात :

i. भूमि अधिग्रहण एक सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना है तथा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन अभी भी विद्यमान है;

ii. सांविधिक पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है, परन्तु धारा 17 और 18 के अंतर्गत अनिवार्य समीक्षा, अनुमोदन एवं प्रकाशन संबंधी कार्यवाहियाँ पूरी की जानी आवश्यक हैं, ताकि धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत विधिक रूप से मान्य घोषणा की जा सके;

iii. पुनर्वासन एवं पुनःस्थापन स्कीम की लागत एवं कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं, जिनमें तृतीय अनुसूची के अंतर्गत आवास एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सहित, को अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है, जिसके पश्चात् अपेक्षित निकाय द्वारा धारा 19 की उप–धारा (2) के अंतर्गत राशि जमा की जानी है; तथा

iv. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के व्यपगत होने से अब तक पूरी की गई सांविधिक कार्यवाही निष्फल हो जाएगी तथा भूमि अर्जन की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करनी पड़ेगी, जबकि अवधि के विस्तार से प्रभावित परिवारों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी सुरक्षा उपाय को सीमित किए बिना शेष अनिवार्य कार्यवाहियाँ पूरी की जा सकेंगी;

अतः अब, गृह मंत्रालय के दिनांक 23.06.2017 की अधिसूचना सं. 1997(E) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, एतद्वारा उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के अंतर्गत घोषणा किए जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) में विनिर्दिष्ट बारह माह की अवधि को और बारह माह के लिए, अर्थात् 6 नवम्बर, 2026 से 5 नवम्बर, 2027 तक (दोनों तिथियों सहित), बढ़ाते हैं।

1. उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (7) के तृतीय परंतुक के अनुपालन में फाइल सं. 34–725/2021–राजस्व में लिखित रूप में अभिलिखित इस निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है। इसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन और निकोबार जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात, उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लिखित भूमि के विस्तार, विवरण, सीमाओं अथवा सार्वजनिक प्रयोजन या उसमें उल्लिखित किसी अन्य विशिष्ट विवरण में परिवर्तन करने वाला नहीं माना जाएगा।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर
ह./–
सहायक सचिव (राजस्व)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

सं. टीएन–डीबी/द.अ.म./2026–27/2488 दिनांक 03.11.2026

दक्षिण अण्डमान प्रभाग, अलोनिवि, श्री विजय पुरम के कार्यकारी अभियंता, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह/मुख्यभूमि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुमोदित एवं पात्र ठेकेदारों से सड़क सुधार और पांच वर्षों तक उनके रखरखाव के लिए ऑनलाइन प्रतिशत दर निविदा/बोली (सीपीडब्ल्यूडी–7 प्रपत्र में) आमंत्रित करते हैं, चाहे वे अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में पंजी.त हों या नहीं। यह इस शर्त के अधीन है कि ठेकेदारों को सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली के अनुसार संबंधित कार्य को निष्पादित करने का अनुभव हो और निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो :

1. एनआईटी संख्या : 12/एस ई/एस वी पी सी सी/2026–27, निविदा आईडी : 2026_APWD_25675_1
कार्य का नाम : फीनिक्स बे पावर हाउस से अनारकली जंक्शन और मेगापोड सी शोर जंक्शन से पुलिस स्टेशन (पी.एस.) चाथम तक सड़क की पुनः सतह बनाना (या पुनः डामरीकरण)। अनुमानित लागत : रु. 4,12,15,729/–, बयाना राशि : रु. 8,24,315/–, कार्य पूर्ण करने की अवधि : 06 (छह) महीने। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 17/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे।

2. एनआईटी संख्या : 13/एस ई/एस वी पी सी सी/2026–27, निविदा आईडी : 2026_APWD_25680_1
कार्य का नाम : मैरीन गेट से मैरीन हिल स्थित अलोनिवि सर्किट हाउस तक की सड़क का पुनरुद्धार (पुनः सतह बनाना) और सुधार कार्य; जिसमें एस.ए.डी., अलोनिवि के अंतर्गत पेवर ब्लॉक के साथ सी.सी. (सीमेंट कंक्रीट) फुटपाथ का निर्माण शामिल है। अनुमानित लागत : रु. 1,27,97,978/–, बयाना राशि : रु. 2,55,960/–, कार्य पूर्ण करने की अवधि : 06 (छह) महीने। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 17/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे।

3. एनआईटी संख्या : 14/एस ई/एस वी पी सी सी/2026–27, निविदा आईडी : 2026_APWD_25682_1
कार्य का नाम : डॉलीगंज में वॉटर टैंक से लेकर आई.सी.एम.आर. (ICMR) जंक्शन तक 0.582 किलोमीटर लंबाई की सड़क की पुनः सतह बिछाना (री–सरफेसिंग) और सुधार कार्य। अनुमानित लागत : रु. 1,34,47,256/–, बयाना राशि : रु. 2,68,945/–, कार्य पूर्ण करने की अवधि : 10 (दस) महीने। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 17/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

कार्यकारी अभियंता
दक्षिण अण्डमान प्रभाग, अलोनिवि, श्री विजय पुरम

विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम, VISTAR योजना को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली, 04 नवम्बर।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च' योजना को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक लागू होने वाली इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर 4,371.10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप इस योजना का उद्देश्य देश की आधिकारिक सांख्यिकी व्यवस्था को आधुनिक, डिजिटल और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल बनाना है। इसके तहत रियल टाइम डेटा, बेहतर आंकड़ा संग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच डेटा साझा करने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

VISTAR योजना के तीन प्रमुख घटक होंगे। इनमें व्यापक सांख्यिकीय संचालन एवं व्यवस्था को मजबूत करना, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सांख्यिकीय क्षमता बढ़ाने में सहायता देना तथा आठवीं आर्थिक गणना कराना शामिल है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है, जबकि पहले 43 प्रमुख सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, डेटा संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रियाओं में एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। मंत्रालय सेवा उत्पादन सूचकांक और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का सूचकांक जैसे नए आंकड़े भी जारी करेगा।

योजना के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण आंकड़े तैयार करने और अपनी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाएगी। इससे जिला और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के स्तर पर रोजगार, उपभोग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े सर्वेक्षणों के आंकड़े बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही आठवीं आर्थिक गणना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से कराई जाएगी। इसमें गैर–कृषि प्रतिष्ठानों और उनमें कार्यरत श्रमिकों से जुड़ा विस्तृत डेटा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक एकत्र किया जाएगा। यह गणना असंगठित क्षेत्र की स्थिति समझने और राष्ट्रीय सांख्यिकीय बिजनेस रजिस्टर तैयार करने का आधार बनेगी। –(इनपुटः पीआईबी)

अग्निवीरों को मिला दो साल का सेवा विस्तार, रेगुलर सैनिक बनने का भी मिलेगा मौका

नई दिल्ली, 04 नवम्बर (हि.स.)।

केन्द्र सरकार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। इसके बाद इन्हें नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रक्षा मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि सरकार ने अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल करने के रास्ते को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्तमान में 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित बलों में भर्ती किया जाता है और शेष 75 प्रतिशत को सेना छोड़नी पड़ती थी। अब कैबिनेट ने शेष 75 प्रतिशत को दो साल का सेवा विस्तार दिए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इस अतिरिक्त दो साल की अवधि पूरा होने पर सेना में शामिल होने के इच्छुक अग्निवीरों को वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों के अधीन सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा।



सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आज भारतीय सशस्त्र बलों और अग्निवीरों के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता बनाया है। 'अग्निपथ' स्कीम 14 जून, 2022 को शुरू की गई थी। उस समय यह कहा गया था कि अग्निवीरों का लगातार प्रदर्शन मूल्यांकन होगा और समय–समय पर स्कीम की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों का पहला बैच अब चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाला है। इन चार सालों में उनके कार्यों का मूल्यांकन करने पर हमें उनके बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। इसी आधार पर चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया गया है।

दुष्कर्म और POCSO मामलों की सुनवाई के लिए 850 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी

नई दिल्ली, 04 नवम्बर।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म और बच्चों के यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO) से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। इस पर कुल 3,788.04 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 2,353.15 करोड़ और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का हिस्सा 1,434.89 करोड़ रुपये होगा। केंद्र का खर्च निर्भया फंड से वहन किया जाएगा।

योजना के तहत देशभर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की संख्या मौजूदा 779 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इनमें विशेष POCSO अदालतें भी शामिल होंगी। प्रत्येक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक विशेष लोक अभियोजक और छह सहायक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, ताकि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके।

इस योजना का उद्देश्य दुष्कर्म और POCSO अधिनियम के मामलों में सुनवाई तेज करना, लंबित मामलों की संख्या घटाना और पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को समय पर न्याय दिलाना है। इसके तहत बच्चों के अनुकूल अदालतें और संवेदनशील गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए विशेष केंद्र विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन न्याय विभाग संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ मिलकर करेगा। अदालतों के प्रदर्शन और मामलों के निपटारे की निगरानी FTSC डैशबोर्ड, प्रगति रिपोर्ट और उच्च न्यायालयों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाएगी। नई अदालतों की स्थापना उन जिलों में प्राथमिकता के आधार पर होगी, जहां दुष्कर्म और POCSO मामलों का अधिक बैकलॉग है।

यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। वर्तमान में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 779 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं, जिनमें 399 विशेष POCSO अदालतें शामिल हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 4,02,457 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।–(इनपुटः पीआईबी)

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

विज्ञापन सं. - 16/26

एनटीपीसी लिमिटेड 91 गीगावॉट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा विद्युत समूह है। हमारे देश की विकास संबंधी चुनौतियों के अनुरूप, एनटीपीसी की वर्ष 2032 तक 149 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना है।

अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को गति देने के लिए, एनटीपीसी को **ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) में गैस इंजन आधारित विद्युत परियोजना के लिए निश्चित अवधि के आधार पर वरिष्ठ स्तर के अनुभवी पेशेवर** की आवश्यकता है।

विवरण निम्नानुसार है:

पद का नाम	रिक्तियाँ
विशेषज्ञ (परियोजना प्रबंधन)	01

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार विस्तृत पात्रता मानदंड, योग्यता मानदंड, अनुभव मानदंड, विज्ञापन का पूरा विवरण देखने और आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट **careers.ntpc.co.in** पर लॉग ऑन करें। ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। **ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 06.11.2026 से 20.11.2026 (शाम 06 बजे तक) तक खुला रहेगा।** कोई भी पूरक परिशिष्ट/शुद्धि पत्र/अपडेट केवल हमारी वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/167

कार्य का नाम : फरारगंज ग्राम पंचायत के अंर्तगत कैडलगंज में एनएच 4 से पीतांबर के घर, राम स्वरूप, भरत राम, अम्मान, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह, विजय कुल्लू घर तक सी सी फुटपाथ को सड़क में परिवर्तित करना।

अनुमानित लागत : रु. 11,04,449/–, धरोहर राशि : रु. 22,089/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25603_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

खबरों और रोचक जानकारियों के लिए पढ़िए
'द्वीप समाचार'

कमांडेंट का कार्यालय
भारतीय रिजर्व बटालियन
अण्डमान तथा निकोबार पुलिस
पोर्ट माउट

I/381227/2026 03.11.2026

रुचि की अभिव्यक्ति/कोटेशन आमंत्रण सूचना

बटालियन ग्रोसरी कैंटीन, आइआरबीएन, श्री विजय पुरम

भारतीय रिजर्व बटालियन ग्रोसरी कैंटीन के वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक अंकेक्षण (ऑडिट) एवं संबंधित वैधानिक अनुपालन कार्यों के निष्पादन हेतु पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)/कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

कैंटीन का वार्षिक कारोबार रु. 3,76,99,824.38 (रुपये तीन करोड़ छहत्तर लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौबीस रुपये और अडतीस पैसे मात्र) है।

कार्य का विस्तृत विवरण, पात्रता मानदंड, नियम एवं शर्तें तथा कोटेशन का निर्धारित प्रारूप अण्डमान तथा निकोबार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक https://police.andamannicobar.gov.in/images/stories/pdf/notification/irbn-canteen-quotation.pdf के माध्यम से उपलब्ध है।

सचिव, ग्रोसरी कैंटीन/उप कमांडेंट (Adj.)
भारतीय रिज़र्व बटालियन (मुख्यालय), पोर्ट माउट

सीमित ई–निविदा सूचना

E.F.No. M/43/2026-O/o Sr Mgr (Tourism)-ANIIDCO_AN/4158 29-10-2026

अण्डमान तथा निकोबार पर्यटन की ब्रांडिंग एवं प्रचार–प्रसार हेतु स्मृति–चिन्हों/समारिका के डिजाइनिंग उत्पादन और आपूर्ति के लिए ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा के नियम और शर्तों युक्त दस्तावेज वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से डाऊनलोड कर सकते हैं अथवा प्रबंधक, (पर्यटन), अनिडको, विकास भवन, श्री विजय पुरम से भी सभी कार्य दिवसों के दौरान दिनांक 17/11/2026 के सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दिनांक 18/11/2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन https://eprocure.andamannicobar.gov.in पर भरी जानी चाहिए और दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में रखकर निगमित कार्यालय स्थित टेंडर बॉक्स में दिनांक 18/11/2026 को दोपहर 12.00 बजे तक डाल दें। तकनीकी बोली उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधिगणों के समक्ष खोला जाएगा।

निगम के महाप्रबंधक (पर्यटन) के पास कसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा सभी को बिना कोई कारण बताए रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

महाप्रबंधक (पर्यटन), अनिडको

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, विम्बलीगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/168

कार्य का नाम : विम्बलीगंज, ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड संख्या 02 में शेखर के घर से यादव के घर से होते हुए दीपांकर के घर तक ड्रेन सहित सी सी रोड का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 14,33,355/–, धरोहर राशि : रु. 28,667/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25594_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, हट बे, लिटिल अण्डमान की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–।/आर आर/2026–27/161

कार्य का नाम : लिटिल अण्डमान हट बे ग्राम पंचायत के अंर्तगत फार्म टिकरी वार्ड नम्बर 02 में मुख्य सड़क के कलवर्ट से साई बाबा मंदिर तक सी सी ड्रेन का निर्माण कार्य।

अनुमानित लागत : रु. 17,09,086/–, धरोहर राशि : रु. 34,182/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।

निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10/11/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।

निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।

टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_25631_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–।,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान